

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 104/2019

दायर दिनांक 02.04.2019

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. दीपा सराफ पत्नी स्व. संजय सराफ 2. वरुण सराफ पुत्र स्व. संजय सराफ 3. दिव्या पुत्री स्व. संजय सराफ पत्नी अखिल पौद्धार निवासी स्पेस टाऊन, हाउसिंग कॉम्पलेक्स ब्लॉक 4 फ्लेट 03 डी, वी.आई.पी. रोड हल्दीराम प्योर फुट राजारहाट गोपालपुर (एम) उत्तर 24 परगना (पं0 बंगाल) समस्त जरिये आम मुख्यतयारनामा अनूप कुमार खेतान पुत्र बाबूलाल खेतान निवासी लोसल सीकर राज0	बनाम्	1. मोहनी पत्नी रामचन्द्र 2. अमरी देवी पत्नी नेमाराम समस्त जाति जाट निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, (राज)।

दावा बाबत्  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री इस्लामुदीन वकील वादी

-:: निर्णय ::-

दिनांक 03.11.2020

सरहद दयालपुरा के खेत खसरा सं0 458 रकबा 15 बीघा  
07 बिस्वा, खसरा सं0 459 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, कुल रकबा 25  
बीघा 09 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड  
वाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 13.07.2020 को  
तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 505 दिनांक 02.11.  
2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा  
प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में  
तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के  
द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 505 दिनांक 02.11.2020 को  
स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद दयालपुरा के खेत खसरा सं० 458 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं० 459 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, कुल रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा, भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बारण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 505 दिनांक 02.11.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 505 दिनांक 02.11.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।




(अंशुल सिंह)

सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)  
डीडवाना

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को सरे इजलास

सुनाया गया।



(अंशुल सिंह)

सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)  
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्ददाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 104/2019

दायर दिनांक 02.04.2019

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. दीपा सराफ पत्नी स्व. संजय सराफ 2. वरुण सराफ पुत्र स्व. संजय सराफ 3. दिव्या पुत्री स्व. संजय सराफ पत्नी अखिल पौद्धार निवासी स्पेस टारुन, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ब्लॉक 4 फ्लेट 03 डी, वी.आई.पी. रोड हल्दीराम प्योर फुट राजारहाट गोपालपुर (एम) उत्तर 24 परगना (पं० बंगाल) समस्त जरिये आम मुख्यत्यारनामा अनूप कुमार खेतान पुत्र बाबूलाल खेतान निवासी लोसल सीकर राज०		1. मोहनो पत्नी रामचन्द्र 2. अमरी देवी पत्नी नेमाराम समस्त जाति जाट निवासी दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर,(राज०)।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 03.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री इस्लामुदीन वकील, वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद दयालपुरा के खेत खसरा सं० 458 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं० 459 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, कुल रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा, भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 505 दिनांक 02.11.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 505 दिनांक 02.11.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकददमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.11.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)